मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 16/06/2021

क्रमांक एफ 16-15/2021/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स गोकलदास एक्सपोर्टस लि. द्वारा रू. 98 करोड़ के पूंजी निवेश से औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा, भोपाल में दो चरणों में रेडीमेड गारमेंटस इकाई स्थापना संबंधी प्रस्ताव अन्तर्गत बडी संख्या में, विशेषकर महिलाओं को, उपलब्ध कराये जा रहे रोजगार को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये:-

1. **आशय पत्र संबंधी समयावृद्धि** –औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा भोपाल में 10.01 एकड़ भूमि आवंटन हेतु जारी आशय पत्र दिनांक 07.12.2019 भूमि आवंटन हेतु शेष देय राशि के भुगतान हेतु दिनांक 30.06.2021 तक समयावृद्धि बिना किसी ब्याज के प्रदान की जाती है।
2. **रोजगार सृजन अनुदान** - प्रति महिला कर्मचारी रू. 6000 प्रतिमाह एवं प्रति पुरूष कर्मचारी रू. 5000 प्रतिमाह अनुदान 7 वर्ष हेतु शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।
3. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपी आईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
4. **हरित औद्योगीकरण** - अवशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (जैसे ईटीपी/एसटीपी/जेडएलडी) की स्थापना में किये गये निवेश को निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना हेतु प्लांट एवं मशीनरी अंतर्गत मान्य किया जाये।
5. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अन्तर्गत परिधान क्षेत्र की विनिर्माण परियोजनाओं हेतु स्वीकृत विशिष्ट पैकेज अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
6. **सुविधाओं की अधिकतम सीमा** -इकाई को स्वीकृत समस्त सुविधाओं की अधिकतम सीमा की गणना हेतु यंत्र एवं संयंत्र अन्तर्गत यंत्र, संयंत्र, भवन, ईटीपी, एसटीपी, जेडएलडी, तापमान नियंत्रण प्रणाली (AC), विद्युत फिटिंग, कैड/कैम,आई.टी. डिजाईन यूनिट को सम्मिलित किया जाये।
7. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.......

पृ.क्रमांक एफ 16-15/2021/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 16 /06/2021

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला - भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, कार्यकारी निदेशक, मेसर्स गोकलदास एक्सपोर्टस लि., 25, 2nd Cross, 3rd Main, इण्डस्ट्रीयल सुबर्ब, यशवंतपुर, बैंगलोर - 560022 ।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग